

कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग

मध्यप्रदेश

क्र./शिक्षा स्था.4/375/2018/2213

भोपाल, दिनांक ५/१०/१८

प्रति,

- समस्त आहरण संवितरण अधिकारी,
जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास,
मध्यप्रदेश ।

विषय:-शिक्षक प्रोफाईल पंजीयन में जाति संवर्ग में त्रुटिपूर्ण जानकारी भरी जाने के संबंध में ।

शिक्षक प्रोफाईल पंजीयन प्रक्रिया के दौरान यह संजान में आया है कि कुछ अध्यापकों जिनकी नियुक्ति शिक्षाकर्मी/संविदा शाला शिक्षक के पद पर आरक्षित संवर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) में हुई है, के द्वारा अध्यापक शिक्षक प्रोफाईल पंजीयन में जानबूझकर सामान्य श्रेणी के अंतर्गत पंजीयन कराया गया है । यह कृत्य जालसोजी एवं कूटरचना की श्रेणी में आता है। ऐसे अध्यापकों के द्वारा किए गए पंजीयन की जांच करें एवं यदि यह पाया जाता है कि उन्होंने जानबूझकर जाति संबंधी विवरण गलत दर्ज किया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावे ।

- ऐसे अध्यापक जिनकी प्रथम नियुक्ति शिक्षाकर्मी/संविदा शाला शिक्षक के पद पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग संवर्ग में हुई है, यदि शिक्षक प्रोफाईल पंजीयन में "सामान्य वर्ग" दर्ज कराया गया है, तो ऐसे अध्यापकों के प्रोफाईल पंजीयन के आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापन के समय आवेदन निरस्त किया जावे ।

उल्लेखनीय है कि शिक्षक प्रोफाईल पंजीयन में अध्यापक द्वारा दर्ज की गई जानकारी का परीक्षण आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा उसके मूल अभिलेख के आधार पर किया जाना है। ऐसी स्थिति में जानकारी के सत्यापन की जिम्मेदारी आहरण संवितरण अधिकारी की है। प्रकरणों का सही परीक्षण नहीं करने वाले एवं जाति संवर्ग की गलत जानकारी को सत्यापित करने वाले आहरण संवितरण अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

Upali Tarkar
आयुक्त

जनजातीय कार्य विभाग

मध्यप्रदेश

पृ.क्र./शिक्षा स्था.4/375/2018/ 22114

भोपाल, दिनांक 4/10/18

प्रतिलिपि

1. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
2. समस्त संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश।
3. समस्त सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश।
5. आई.टी. शाखा प्रभारी, मुख्यालय भोपाल।

D
आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग
मध्यप्रदेश